न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–144/2013–14

श्याम नारायण राम वगैरह बनाम विरेन्द्र सिंह

Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

27/3/18

आदेश

इस वाद की कार्यवाही अंचलाधिकारी, दानापुर के पत्रांक 3567 दिनांक 28.12.2013 से प्राप्त जमाबंदी रद्द वाद सं0 01/2013–14 के आधार पर आरम्भ की गयी।

इस न्यायालय में श्री श्याम नारायण राम एवं श्री विरेन्द्र सिंह के द्वारा वकालतनामा दायर किया गया है। श्री विरेन्द्र सिंह के द्वारा दिनांक 09.04.2016 को List of document के साथ अपना आवेदन समर्पित किया गया है, जबकि श्री श्याम नारायण राम के द्वारा कोई आवेदन/लिखित बहस/साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया।

दिनांक 28.03.2017 से उभय पक्ष के द्वारा वाद में पैरवी करना छोड़ दिया गया। दिनांक 13.05.2017, 27.06.17 एवं 09.08.17 को निर्धारित तिथियों को किसी पक्ष के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में दिनांक 09.08.2017 को उभय पक्ष को अंतिम मौका दिया गया। उसके बाद भी सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 23.09.2017, 31.10.17, 19.12.17, 03.02.18 एवं आज दिनांक 27.03.2018 को कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं है। अतः अभिलेख में उपलब्ध कागजात/साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–सैदपुरा, थाना नं0 51 के निम्न खाता, खेसरा की भूमि सर्वे खतियान के अनुसार, गैर मजरूआ आम किस्म पईन एवं बांध है।

खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा	जमीन का प्रकार	किस्म
1	2	3	4	5
350	916	78 डी0	गैरमजरूआ आम	पईन
350	917	36 डी0		बांध
350	936	15 डी0		बांध
350	937	33 डी0		पईन
	कुल	1.62 एकड़		

उपर्युक्त भूखण्ड जो गैरमजरूआ आम किस्म पईन/बांध है का वर्तमान में सार्वजनिक रास्ता के रूप में उपयोग हो रहा है।

पंजी–2 में प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी सं0 108 वर्ष 1988–89 में राम गुलाम राम, पिता प्रगास राम के नाम से खोली गयी है। जमाबंदी खोले जाने के लिए सक्षम प्राधिकार का आदेश एवं दाखिल खारिज वाद सं0 अंकित नहीं है। वर्ष 2007–08 से श्याम नारायण राम, राम नारायण राम एवं देव नारायण राम सभी के पिता स्व0 राम गुलाम राम के नाम से

रसीद कट रही है। पंजी–2 में राम गुलाम राम के नाम से वर्ष 1988–89 में जमाबंदी कायम किये जाने का कोई आधार दर्ज नहीं है, अतः यह जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है। सर्वे नक्शा पर प्रश्नगत खेसरा काफी पतले एवं लम्बे आकार का है, जो कृषि कार्य अथवा बन्दोवस्ती के लायक नहीं है। स्थानीय जांच में पाया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर राम गुलाम राम या उनके पुत्रों का कभी भी दखल कब्जा नहीं रहा है।

प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में सीमांकन वाद सं0 25/2007–08 श्याम नारायण राम बनाम वीरेन्द्र सिंह चला था। उक्त वाद में प्रश्नगत भूखण्ड को आम रास्ता बताते हुए श्याम नारायण राम के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के न्यायालय में धारा 144 द0प्र0स0 अंतर्गत वाद सं0 3(एम)2010 श्याम नारायण राम बनाम वीरेन्द्र सिंह वगैरह चला था। अनुमंडल दण्डाधिकारी के द्वारा स्वत्व का मामला बताते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

कुल 1.62 एकड़ के लिए कायम जमाबंदी स0 108 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

इस वाद के अन्य पक्षकार श्री विरेन्द्र सिंह के द्वारा दिये गये अपने ब्यान तहरीर में कहा गया है कि

(1) प्रश्नगत भूखण्ड सर्वे खतियान में गैरमजरूआ आम किस्म पईन एवं बांध दर्ज है। पूर्व में इसका उपयोग सिंचाई के लिए होता था। वर्तमान इसके भर जाने के कारण इसका उपयोग आम लोगों के द्वारा रास्ता के रूप में किया जाता है।

(2) श्याम नारायण राम अथवा उनके पिता को भूतपूर्व जमीन्दार से बंदोबस्त नहीं है। वैसे भी भूतपूर्व जमीन्दार को गैरमजरूआ आम जमीन बन्दोबस्त करने का अधिकार नहीं था।

(3) राम नारायण राम एक राजस्व पदाधिकारी के अर्दली थे, जिन्होंने फर्जी ढंग से प्रश्नगत भूखण्ड की लगान रसीद प्राप्त कर ली तथा बिना सक्षम आदेश के अपने नाम से जमाबंदी सं0 108 कायम करवा ली। प्रश्नगत भूखण्ड पर राम नारायण राम अथवा उनके पुत्रों का कभी भी हक एवं दखल नहीं रहा है।

(4) श्याम नारायण राम के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में सीमांकन वाद सं0 25/2007–08 दायर किया गया, जिसे दिनांक 26.09.2008 के आदेश से यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड गैर मजरूआ आम है तथा उसका उपयोग आम रास्ता के रूप में हो रहा है।

(5) अनुमंडल दण्डाधिकारी, दानापुर के न्यायालय में धारा–144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत दायर वाद सं0 03(एम)2010 में दिनांक 10.02.2010 को पारित आदेश में भी प्रश्नगत भूखण्ड को गैरमजरूआ आम माना गया है।

(6) श्याम नारायण राम के प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने हक एवं हिस्सा को लेकर उच्च न्यायालय पटना में CWJC No. 3812/2012 दायर किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

(7) श्याम नारायण राम एवं अन्य के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड के लिए कायम जमाबंदी सं0 108 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) सीमांकन वाद सं0 25/2007–08 में दिनांक 26.09.2008 का पारित आदेश

(2) धारा–144 द0प्र0सं0 अन्तर्गत वाद सं0 03(एम)2010 में दिनांक 19.02.2010 को पारित आदेश

(3) राजस्व कर्मचारी का दिनांक 09.03.2008 का जांच प्रतिवेदन

(4) अंचलाधिकारी, दानापुर का जमाबंदी रद्द वाद सं0 01/2013–14 का अभिलेख

(5) CWJC No. 3812/2012 एवं MJC No. 4428/2012 में दिनांक 22.01.2014 को पारित आदेश

(6) खतियान की प्रति

श्री श्याम नारामण राम वगैरह की तरफ से प्रश्नगत भूखण्ड उन्हें प्राप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं दाखिल किया गया, जिससे स्पष्ट है कि श्री श्याम नारामण राम वगैरह के पास प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं है। वैसे भी प्रश्नगत भूखण्ड गैर मजरूआ आम किस्म पईन एवं बांध है। जिसे बन्दोबस्त करने का अधिकार भूतपूर्व जमीन्दार को नहीं था। अवैध आधार पर कायम ऐसी जमाबंदियों को रद्द करने का निदेश राजस्व विभाग के पत्रांक 4097 दिनांक 23.09.1953 एवं पत्रांक 914 दिनांक 09.12.1998 के द्वारा दिया गया है।

Civil Appeal No. 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब सरकार एवं अन्य में दिनांक 28.01.2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश में ऐसे सभी जल निकाय जो सार्वजनिक उपयोग के है, के लिए अवैध रूप से कायम जमाबंदियों को रद्द कर उन्हें वापस लेने का आदेश सभी राज्य सरकारों को दिया गया है।

प्रश्नगत भूखण्ड की बन्दोबस्ती सरकार के द्वारा श्याम नारामण राम अथवा उनके पिता को की गयी थी, ऐसा कोई साक्ष्य भी श्याम नारामण राम के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पंजी–2 में वर्ष 1988–89 में राम गुलाम राम, पिता प्रगास राम के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड के लिए उक्त जमाबंदी सं0 108 अवैध रूप से कायम की गयी है। उक्त जमाबंदी को बाद में श्याम नारामण राम वगैरह के नाम से स्थानान्तरित कर दिया गया। श्याम नारामण राम वगैरह के नाम से कायम जमाबंदी सं0 108 को अवैध मानते हुए, उसे रद्द करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, दानापुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

27/3/14

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

27/3/14

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना